संख्या-36012/23/96-स्थापना(आरक्षण)-खंड-।।

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक अक्तूबर 3, 2000

कार्यालय-ज्ञापन

-3 OCT 2000

विषयः- पदोन्नति में आरक्षण -अपेक्षाकृत कम अर्हक अंकों/मूल्यांकन के अपेक्षाकृत कम मानक (स्तर) का निर्धारण ।

अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक जुलाई 22, 1997 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-36012/23/96-स्था.(आरक्षण) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के संबंध में पदोन्नति के मामलों में अपेक्षाकृत कम अर्हक अंक/मूल्यांकन के अपेक्षाकृत कम मानक रखे जाने का प्रावधान करने के बारे में सरकार द्वारा जारी विभिन्न अनुदेश, एस. विनोद कुमार बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर वापस ले लिए गए थे ।

2. अधोहस्ताक्षरी को आगे यह निवेदन करने का भी निदेश हुआ है कि इस मामले की समीक्षा कर ली गई है, जिसके परिणामस्वरूप, संविधान में संविधान के 82वें संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा अनुच्छेद 335 में निम्नलिखित परन्तुक समाविष्ट कर दिया गया है, अर्थात् :

> "परन्तु इस अनुच्छेद में कोई भी बात संघ अथवा किसी राज्य के काम-काज के सिलसिले में सेवाओं में पदों के किसी वर्ग अथवा किन्हीं वर्गों में पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में अर्हक अंकों में ढील दिए जाने अथवा किसी अर्हक परीक्षा में मूल्यांकन के मानक अपेक्षाकृत कम रखे जाने की दृष्टि से कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी ।"

3. संविधान के अनुच्छेद 335 के समर्थकारी परन्तुक के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के संबंध में पदोन्नति के मामलों में कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 23.12.1970 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-8/12/69-स्था.(एस.सी.टी.), दिनांक 21.01.1997 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-36021/10/76-स्था.(एस.सी.टी.) और दिनांक 10.04.1989 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-22011/5/86-स्था.(घ) में विभागीय पदोन्नति-समिति से

संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 6.3.2 सहित, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों में निहित और 22.07.1997 से पूर्व अपेक्षाकृत कम अंक, मूल्यांकन के अपेक्षाकृत कम मानक (स्तर) रखे जाने के रूप में विद्यमान तथा दी जा रहीं और बाद में वापस ले ली गईं ढीलें -रियायतें, अब तत्काल प्रभाव से बहाल करना तय किया गया है । दूसरे शब्दों में, इन अनुदेशों के प्रभाव-स्वरूप कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग का दिनांक जुलाई 22, 1997 का कार्यालय-ज्ञापन संख्या-36012/23/96-स्था.(आरक्षण), इस कार्यालय-ज्ञापन के जारी हो जाने की तारीख़ से निष्प्रभावी हो जाएगा (लागू नहीं रहेगा) ।

4. ये आदेश, इस कार्यालय-ज्ञापन के जारी होने की तारीख़ को अथवा उसके बाद किए जाने वाले चयन के संबंध में प्रभावी होंगे । इससे पहले ही, अंतिम रूप से किया जा चुका चयन इससे प्रभावित नहीं होगा ।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से इन अनुदेशों को अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और अपने नियंत्रणाधीन स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भी ध्यान में लाने का अनुरोध है।

(जगदीश कुमार)
भारत-सरकार के उप सचिव
दूरभाष : 3011797

सेवा में,

1. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड ।
6. संघ-लोक-सेवा-आयोग/उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन-आयोग/लोक-सभा-सचिवालय/ राज्य-सभा-सचिवालय/मंत्रिमंडल-सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता-आयोग/राष्ट्रपति-सचिवालय/प्रधान मंत्री-कार्यालय/योजना-आयोग ।
7. कर्मचारी-चयन-आयोग, सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता-मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग-आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कॉमा प्लेस, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली ।